"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 292] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 सितम्बर 2009—आश्विन 1, शक 1931

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-88/2009/पबाविं/50.—"घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005" की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा परियोजना स्तर पर एकीकृत बाल विकास परियोजना के परियोजना अधिकारियों को परियोजनाओं के शहरी/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र के लिए "संरक्षण अधिकारी" नियुक्त करती है. उन समस्त क्षेत्रों में जहां एकीकृत बाल विकास परियोजना स्वीकृत नहीं है, उन क्षेत्रों में जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी "संरक्षण अधिकारी" के रूप में "राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से कार्य करेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2009

क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-88/2009/मबावि/50, दिनांक 23 सितम्बर, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, सचिव.

Raipur, the 23rd September 2009

NOTIFICATION

No. F 6-88/2009/WCD/50.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of "The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005" the State Government, hereby, appoints Project Officer of Integrated Child Development Schemes Project as "Protection Officer" for the project area of urban/rural/tribal. In all those area, where Integrated Child Development Schemes is not sanctioned, District Programme Officer/District Women and Child Development Officer will act as "Protection Officer" for that area with effect from the date of its publication in the "Official Gazette."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. K. BEHAR, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.